न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद अपील सख्या 09/2023

ललित कुमार सरीन पुत्र श्री रामपूर्ति श्रृंगारचंवरी, अजमेर ....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी, प्रथम अजमेर। ....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः–1. श्री विनोद पंवार, अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 10.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता पिछले 16 वर्षों से रसद सामग्री का वितरण कार्य कर रहा है तथा माननीय जिला कलक्टर (रसद) अजमेर द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 998/06 जारी किया गया है। जबसे अपीलकर्ता को माननीय जिला कलेकटर (रसद) अजमेर द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया है तब से अपीलकर्ता के पास उचित मूल्य दुकान पर दर्ज उपभोक्ताओं के द्वारा रसद सामग्री नहीं मिलने की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अपीलकर्ता के उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को बिना सुनवाई के अवसर दिये दिनांक 12.02.2022 को निलम्बित कर दिया गया तथा दिनांक 04.07.2022 को (पांच माह बाद) प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये। खाद्य विभाग के स्पष्ट आदेश/निर्देश है कि प्राधिकार पत्र के निलम्बित होने के तीन माह में सुनवाई करते हुए फैसला किया जावे और यदि कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है तो निलम्बित प्राधिकार पत्र को प्रकरण समाप्त होने तक प्राधिकार पत्र को बहाल किया जावे। परन्तु जिला रसद अधिकारी ने इसकी पालना नहीं कर घोर अनियमितता की है एवं निरस्त प्राधिकार पत्र को बहाल कराने का अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट के इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अपीलकर्ता पिछले 16 वर्षो से रसद सामग्री का वितरण कार्य कर रहा है तथा माननीय जिला कलक्टर (रसद) अजमेर द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 998/06 जारी किया गया है। जबसे अपीलाकर्ता को माननीय जिला कलेकटर (रसद) अजमेर द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया है तब से अपीलकर्ता के पास उचित मूल्य दुकान पर दर्ज उपभोक्ताओं के द्वारा रसद सामग्री नहीं मिलने की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पिछले कुछ वर्षो से राज्य सरकार के खाद्य विभाग द्वारा रसद सामग्री वितरण हेतु हर डीलर को पास मशीन का वितरण किया गया है एवं रसद सामग्री को इसी मशीन से उपभोक्ताओ को अंगूठा लगवाकर विंतरण करने के निर्देश दिये गये है। पोस

जिला कलक्टर

मशीनो से रसद सामग्री वितरण करने के लिए कोई प्राधि[illegible] ही कोई स्पष्ट आदेश दिये गये है। पोस मशीनो से उपभोक्ताओ के अंगूठे निशान नहीं आने पर क्या कार्यवाही करते हुए रसद सामग्री वितरण की जावे, स्पष्ट आदेश/निर्देश नहीं दिये गये है। रसद कार्यालय से अधिकारियों/कार्मिको से जानकारी लेने पर किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है। रसद विभाग, उपखण्ड अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एक ही बात कही गई कि किसी उपभोक्ता की रसद सामग्री नहीं मिलने की कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। इस बात को मध्यनजर रखते हुए उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया गया है एवं आधार कार्ड का नम्बर डालकर वितरण किया गया। माननीय जिला रसद अधिकारी अजमेर प्रथम द्वारा कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ जो कार्यालय पत्र क्रमांक 1761 दिनांक 14.02.2022 को जारी किया गया। अपीलकर्ता को बिना पक्ष रखे एवं उचित समय दिये दिनांक 12.02.2022 को निरीक्षण दिनांक को ही प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर दिया गया। अपीलकर्ता ने दिनांक 27.05.2022 को कारण बताओ नोटिस का जवाब जिला रसद अधिकारी अजमेर को पेश कर दिया गया परन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 06.06.2022 को पत्रावली पर अपीलकर्ता को जवाब पेश नहीं करने की बात लिखी गई तथा पत्रावली दिनांक 16.06.2022 को पेश करने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 16.06.2022 को प्रोसीडिंग में जवाब पेश होने की बात लिखकर पत्रावली 04.07.2022 को पेश करने के आदेश पारित किये गये। जिला रसद अधिकारी अजमेर ने दिनांक 16.06.2022 को ही पुनः प्रोसीडिंग लिखकर अपीलकर्ता द्वारा विस्तृत जवाब पेश होने की बात लिखकर पत्रावली 04.07.2022 को पेश करने की बात लिख दी परन्तु अपीलकर्ता के उपस्थित होने के बावजूद हस्ताक्षर नहीं कराये। जिला रसद अधिकारी द्वारा एक तरफ विभागीय कार्यवाही लम्बित रख रहा है तथा दूसरी तरफ 6 ए की कार्यवाही करता रहा है जो सामान्य सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है। अपीलकर्ता को दोनो तरफ से कार्यवाही होने के कारण उसकी मनोस्थिति बिगडने से किसी भी प्रकार की विधि सम्मत राय नहीं ले सका तथा ना ही अपने बचाव में कोई कार्यवाही कर सका। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को पूर्ण रूप से कोई बचाव हेतु समय और मौका नहीं दिया गया है जो विधि विरूद्ध श्रेणी में आता है। अपीलकर्ता के उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को बिना सुनवाई के अवसर दिये दिनांक 12.02.2022 को निलम्बित कर दिया गया तथा दिनांक 04.07.2022 को (पांच माह बाद) प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये। खाद्य विभाग के स्पष्ट आदेश/निर्देश है कि प्राधिकार पत्र के निलम्बित होने के तीन माह में सुनवाई करते हुए फैसला किया जावे और यदि कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है तो निलम्बित प्राधिकार पत्र को प्रकरण समाप्त होने तक प्राधिकार पत्र को बहाल किया जावे। परन्तु जिला रसद अधिकारी ने इसकी पालना नहीं कर घोर अनियमितता की है एवं निरस्त प्राधिकार पत्र को बहाल कराने का अधिकारी है। अतः जिला रसद अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 04.07.2022 को निरस्त करके अपीलकर्ता की अपील स्वीकार करे। वकील अपीलांट ने अपने समर्थन में फर्द दस्तावेज पेश किये।

पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि दिनांक 12.02.2022 को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान कोड 22146 पर पोस मशीन एवं भौतिक सत्यापन पर अपेक्षित स्टॉक से 45.13 क्वि. गेहूँ अधिक पाया गया है। जिसके बाद तस्दीक 29.72 क्विंटल गंहू का गबन पाया जाकर तदनुसार जवाब चाहा गया था। नोटिस के बिन्दु संख्या 01 से 04 के कम में अप्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर अनियमितताएं तथा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन प्रमाणित होता है। अप्रार्थी द्वारा लाभार्थियों को खाद्यान्न से वंचित रखने तथा पी.डी.एस. गेंहू अधिशेष रूप से वितरण न कर स्वयं के गोदाम में रखने का दोषी पाया जा कर एतदद्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। पोस मशीन व भौतिक सत्यापन के स्टाक में 45.13 क्वि. के अन्तर के आधार पर दुकान प्राधिकार पत्र 998/2006 दिनांक 12.02.2022 को जिला रसद अधिकारी द्वारा निलम्बित किया तत्पश्चात् कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं विधिवत सुनवाई उपरान्त दिनांक 04.07.2022 को प्राधिकार पत्र सं. 998/2006 निरस्त किया गया। अतः अपीलाधीन आदेश पूर्णतया न्यायसंगत, विधि अनुरूप तथा अपीलान्ट/डीलर द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी की राशन दुकान पर पोस मशीन में 103.87 क्विन्टल गेहूँ दर्ज है जबकि भौतिक सत्यापन पर 149 क्विटल गेहूँ पाया गया जो अपेक्षित स्टॉक से 45.13 क्विन्टल गेहूँ अधिक पाया गया। उचित मूल्य दुकान प्राधिकृत स्थान पर मूल्य सूची/स्टॉक का प्रदर्शन नहीं पाया गया। उक्त उचित मूल्य दुकान प्राधिकृत स्थान पर संचालित न होकर अन्य भिन्न स्थान पर संचालन किया जाना पाया गया। उचित मूल्य दुकानो का स्टॉक चार्ज निर्धारित समयावधि में हस्तांतरित कराकर चार्ज रिपोर्ट पूर्व में अटेच 22208 का चार्ज देने की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, उचित मूल्य दुकान पर उपभोक्ता हैल्पलाइन नंबर का प्रदर्शन नहीं होना पाया गया। राशन डीलर श्री ललित कुमार सरीन द्वारा खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितता किया जाना प्रकट होने पर श्री ललित कुमार सरीन को जारी उचित मूल्य दुकान कोड़ 22146 अजमेर शहर का प्राधिकार पत्र संख्या 998/2006 जिला रसद अधिकारी, प्रथम अजमेर द्वारा अनुज्ञापत्र, आदेश दिनांक 12.02.2022 द्वारा निलम्बित किया गया तत्पश्चात् कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं विधिवत सुनवाई उपरान्त दिनांक 04.07.2022 को प्राधिकार पत्र सं. 998/2006 निरस्त किया गया। इससे पूर्व अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 13/2022 दर्ज कर अपीलार्थी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। अधिनस्थ आक्षेपित आदेश की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट को मामले में जवाब सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध की गई जांच कार्यवाही में उनके द्वारा विभागीय आदेशो व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया है। चूंकि अपीलान्ट/डीलर के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर ही जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश से अपीलान्ट (डीलर) का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है लिहाजा रेस्पोडेन्ट द्वारा गुणावगुण के आधार पर पारित आदेश में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रकट नहीं होने से इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः ठोस आधार नहीं होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2022 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

न्यायालय जिला... अजमेर